

समेकित छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग (राज्य सलाहकार समिति) विनियम, 2004
(दिनांक 09.01.2020 की अधिसूचना तक समेकित)

विनियम का नाम	विनियम का क्रमांक	अधिसूचना दिनांक
छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग (राज्य सलाहकार समिति) विनियम, 2004	3 / सीएसईआरसी / 2004	18.10.2004
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (राज्य सलाहकार समिति) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2020	84 / सीएसईआरसी / 2020	09.01.2020

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
जी. ई. रोड, सिविल लाईन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2004

क्रमांक 1006-A/996/2004/13/1. - रायपुर दिनांक 3/10/2004 एवं नैमित्तिक क्रमांक 3/सी एस ई आर सी/2004, विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का क्रमांक 36) की धारा 87 एवं 181 (1) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा राज्य सलाहकार समिति एवं उसके अधीनस्थ सेवा नैमित्तिक से संबंधित विनियम बनाता है, अर्थात्

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (राज्य सलाहकार समिति) विनियम, 2004

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

- (1) इन विनियमों को छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग (राज्य सलाहकार समिति) विनियम, 2004 (वर्ष 2004 का क्रमांक 3) कहा जायेगा।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं

- (1) इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो —
- (अ) “केन्द्रीय अधिनियम” से अभिप्रेत है विद्युत अधिनियम, 2003 (वर्ष 2004 का क्रमांक 36)।

- (ब) “आयोग” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग।
- (स) “समिति” से अभिप्रेत है राज्य सलाहकार समिति।
- (द) “राज्य सरकार” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ सरकार।
- (2) प्रयुक्त शब्द व अभिव्यक्तियाँ, जो ऊपर परिभाषित नहीं किये गये हैं, का वही अर्थ होगा जैसा कि केन्द्रीय अधिनियम में है।

3. राज्य सलाहकार समिति का गठन

- (1) समिति के सदस्यों की संख्या 15 से कम नहीं होगी तथा 21 से अधिक नहीं होगी और इनका नामांकन केन्द्रीय अधिनियम की धारा 87 के अनुरूप आयोग द्वारा समय-समय पर किया जायेगा। किसी भी सदस्य के रिक्त स्थान को रिक्ति के दिनांक से दो माह की कालावधि भीतर भरा जायेगा।
- (2) समिति के सदस्यों का नामांकन तीन वर्ष की अवधि के लिए किया जावेगा एवं इन्हें केवल एक और टर्म के लिए पुनः नामांकित किया जा सकेगा।
- (3) आयोग के अध्यक्ष, राज्य सलाहकार समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे। आयोग के सदस्य एवं राज्य सरकार के उपभोक्ता मामलों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग के सचिव इस समिति के पदेन सदस्य होंगे।
- (4) राज्य सरकार के ऊर्जा विभाग के सचिव इस समिति में विशेष आमंत्रित होंगे।
- (5) समिति के पदेन सदस्य एवं विशेष आमंत्रित को छोड़कर यदि कोई सदस्य आयोग को पूर्व सूचना दिये तथा अपनी अनुपस्थिति के ठोस कारण बताये बिना लगातार तीन बैठकों में भाग लेने में असफल रहता है तो समिति से उसकी सदस्यता समाप्त हो जावेगी।

4. समिति का सचिव

- (1) आयोग का सचिव समिति का पदेन सचिव होगा।
- (2) सचिव का दायित्व होगा कि वह अध्यक्ष की अनुमति से बैठक का आयोजन करें जिसकी लिखित सूचना, अध्यक्ष के विशिष्ट अन्यथा निर्देश को छोड़कर, सामान्यतः कम से कम 14 दिवस पूर्व सदस्यों को दी जावेगी। सूचना में प्रस्तावित बैठक की तिथि, समय एवं बैठक स्थल का विवरण दिया जावेगा।

5. समिति की कार्यवाही

- (1) समिति की कार्यवाही को कार्यवाही पंजी में अभिलिखित किया जावेगा एवं उस पर अध्यक्ष हस्ताक्षर करेंगे।
- (2) समिति की बैठक कम से कम तीन माह में एक बार होगी।
- (3) समिति की बैठक का कोरम कम से कम छः सदस्य का होगा।

- (4) उचित कोरम की बैठक प्रारम्भ होने के बाद, भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या कोरम से कम होने हो जाने के बावजूद भी, बैठक चालू रखी जा सकती है।
- (5) बैठक प्रारम्भ होने पर कोरम के अभाव में समिति द्वारा कोई कार्य सम्पादित नहीं किया जाएगा और ऐसी बैठक को अध्यक्ष द्वारा स्थगित किया जा सकता है। स्थगन की स्थिति में बैठक उसी दिन अन्य समय पर या अध्यक्ष द्वारा नियत कोई अन्य तिथि पर, रखी जा सकती है। स्थगन के बाद आयोजित इस प्रकार की बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।
- (6) स्थगन के उपरांत की बैठक में स्थगित बैठक की कार्यसूची पर पहले विचार होगा, उसके बाद ही किसी नये विषय पर विचार किया जा सकेगा।
- (7) किसी सदस्य द्वारा कार्यसूची या सूचना की प्राप्ति न होने पर या समिति में किसी सदस्य के रिक्त पद होने पर या मात्र बैठक के संचालन संबंधी कोई अनियमितता की वजह से बैठक की कार्यवाही को अवैध नहीं माना जावेगा।
- (8) जब तक आयोग द्वारा अन्यथा अधिसूचित न किया जाय, समिति की सभी बैठकें आयोग के कार्यालय में आयोजित की जायेंगी।

6. समिति के सदस्यों को शुल्क व भत्ते

- 1“(1) समिति के पदेन सदस्य एवं विशेष आमंत्रित को छोड़कर अन्य सभी सदस्यों को प्रत्येक बैठक के लिये आयोग द्वारा समय-समय पर नियत शुल्क की पात्रता होगी।”1
- (2) पदेन सदस्य एवं विशेष आमंत्रित को छोड़कर समिति के सदस्यों को बैठक में उपस्थित होने के लिए टिकिट इत्यादि प्रस्तुत करने पर यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी। यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति, यात्रा पर किया गया वास्तविक व्यय अथवा रेल में वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के किराये में से जो भी कम हो, तक सीमित होगी।

7. सदस्य का इस्तीफा

पदेन सदस्य को छोड़कर समिति का कोई सदस्य आयोग के सचिव को लिखित सूचना के साथ समिति की सदस्यता से इस्तीफा दे सकता है। इसे आयोग के अध्यक्ष की स्वीकृति के दिनांक से लागू माना जावेगा।

8. सदस्य का हटाया जाना

- (1) पदेन सदस्य को छोड़कर समिति के अन्य सदस्य को आयोग द्वारा हटाया जा सकता है –
 - (अ) जो न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया गया हो; या
 - (ब) जो नैतिक अधमता से संबंधित अपराध में दोषी पाया गया हो; या

- (स) जो सदस्य के रूप में काम करने में शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया हो; या
- (द) जिसने इस प्रकार का व्यवहार या अपने पद का दुरुपयोग किया हो कि उसका पद पर बने रहना लोकहित या केन्द्रीय अधिनियम के प्रयोजन एवं उद्देश्यों के प्रतिकूल हो।
- (2) जिस सदस्य को उपरोक्त उपखण्ड (1), में वर्णित कारणों से हटाया जाना प्रस्तावित हो, उसे आयोग के अध्यक्ष के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

9. विविध

- (1) केन्द्रीय अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों एवं इन विनियमों के तहत, आयोग द्वारा इन विनियमों के क्रियान्वयन के लिये समय-समय पर आदेश एवं निर्देश जारी किये जा सकेंगे।
- (2) आयोग किसी भी समय इस विनियम के प्रावधानों में वृद्धि, परिवर्धन, परिवर्तन, संशोधन या सुधार कर सकता है।
- (3) इन विनियमों के प्रावधान को लागू करने में यदि कोई भी कठिनाई होती है तो आयोग, सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा, कोई भी कार्य कर सकता है या कार्य किया जाना स्वीकार कर सकता है अथवा समिति को ऐसा करने या करने के लिये अनुमति दे सकता है जो उस अवरोध को दूर करने के लिए आवश्यक या उचित लगता है।

टीप— इस विनियम के हिन्दी संस्करण की अंग्रेजी संस्करण से प्रावधानों की व्याख्या या समझने में अंतर होने की दशा में, अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) का तात्पर्य सही माना जावेगा और इस संबंध में किसी विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

आयोग के आदेशानुसार

(अजय श्रीवास्तव)
उपसचिव